भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक लेखा

2022-23

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा

2022-23

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: +91 11 2346 2900
वैबसाइट : **ibbi.gov.in**

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	5
2.	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	7-8
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उपाबंध	9
4.	तुलनपत्र	10
5.	आय और व्यय लेखा	11
6.	प्राप्ति और भुगतान लेखा	12
7.	तुलनपत्र की अनुसूचियां	13-19
8.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां	20-23
9.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24-25
10.	आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	26-43
11.	लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन	44

परिचय

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के अनुसार तारीख 1 अक्तूबर, 2016 को की गई थी । यह संहिता के कार्यान्यन के लिए उत्तरदायी पारिस्थितिक-तंत्र का प्रमुख स्तंभ है, जो कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को, उद्यमिता, उधार की उपलब्धता का संवर्धन करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए समेकित और संशोधित करता है ।

बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियमनकारी निगरानी रखता है । यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन, व्यष्टिक दिवाला समाधान और व्यष्टिक शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाता है और उन्हें प्रवर्तित करता है । उसका कार्य संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और पद्धतियों का विकास करना और उन्हें विनियमित करना है । इसे कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए 'प्राधिकारी' के रूप में पदाभिहित किया गया है ।

संहिता की धारा 223(1) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 जारी किए ।

संहिता की धारा 223(2) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और पत्र सं. ए.ए.एम.जी.-I/13(4)/आई.बी.बी.आई. लेखा-2022-23/2023-24/392-394, तारीख 1 दिसम्बर, 2023 द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है ।

इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा और उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित प्ररूप में प्रस्तुत की गई है । इसे संहिता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है ।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करना भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के प्रबंधतंत्र का उत्तरदायित्व है । हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं । विधियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्-पृथक् प्रतिवेदित किया गया है ।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का आयोजन और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में की रकम और प्रकटन का समर्थन करते हैं । किसी लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किए गए है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

ii इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 के नियम 3 और 4 अधीन लेखा प्ररूप में तैयार किए गए हैं ।

iii हमारी राय में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रतीत होता है ।

iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. सहायता अनुदान

आई.बी.बी.आई. के पास भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की बाबत पूर्व वर्षों का अतिशेष 'शून्य' था । आई.बी.बी.आई. ने 2022-23 के दौरान सहायता के रूप में 28.77 करोड़ रुपए [सहायता अनुदान(साधारण) - 10.69 करोड़ रुपए और सहायता अनुदान(वेतन) - 18.08 करोड़ रुपए] प्राप्त किए । आई.बी.बी.आई. द्वारा वर्ष के दौरान 28.77 करोड़ रूपए का संपूर्ण अनुदान खर्च कर दिया था और 31 मार्च, 2023 को अतिशेष शून्य रह गया । तथापि आई.बी.बी.आई. ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान साधारण (जी.आई.ए. जनरल) के अधीन 18.89 लाख रुपए की कमी का वित्तपोषण सहायता अनुदान वेतन(जी.आई.ए. सैलरी) में से किया था । कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदानों के इस पुनर्विनियोजन को नियमित करने की ईप्सा की गई थी किन्तु आई.बी.बी.आई. को कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

ख. प्रबंधतंथ को पत्र

वे कमियां, जो इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक् से जारी किए गए प्रबंधतंत्र-पत्र के माध्यम से प्रबंधतंत्र की जानकारी में लाई गई हैं ।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में अपने प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे लेखा बहियों के सादृश्य हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने पर और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, -

क) जहां तक उनका संबंध भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान कामकाज की स्थिति के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख) जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखे से है,

भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(एस. अहलादिनी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01 दिसम्बर, 2023

पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उपाबंध

1, **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

आंतरिक लेखापरीक्षा, पारिश्रमिक पर ली गई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा अर्ध-वार्षिक(छमाही) रूप में कराई जा रही है और वह वर्ष 2022-23 के लिए पूरी कर ली गई है ।

2, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सहायता अनुदानों की उपयोगिता और लेखांकन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।

3. स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच पूरी की गई थी ।

4. वस्तु-सूची की अस्तित्व जांच की पद्धति

आई.बी.बी.आई में 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।

5. कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता

आई.बी.बी.आई. ने कानूनी देयों को नियमित रुप से जमा किया था ।

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-I)

प्ररूप-'क'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक का तुलनपत्र

(रकम रुपयों में)

निधि और दायित्व	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
निधि	I	36,03,98,274	19,71,46,535
आरक्षितियां और अधिशेष	II	-	-
नियत/विन्यास निधियां	III	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V	-	-
आस्थगित उधार दायित्व	VI	9,12,330	5,71,000
चालू दायित्व और प्रावधान	VII	29,56,97,012	15,34,51,821
कुल		**65,70,07,616**	**35,11,69,356**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII	3,18,08,168	2,23,01,026
निवेश -नियत/विन्यास निधियों में से	IX	-	-
निवेश - अन्य	X	1,18,11,284	1,64,02,316
चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम	XI	61,33,88,164	31,24,66,014
प्रकीर्ण व्यय (जहां तक उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
कुल		**65,70,07,616**	**35,11,69,356**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रकम रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/सहायकियां	XII	28,77,53,000	26,00,00,000
फीस/अभिदान	XIII	23,64,78,294	5,68,06,633
निवेशों से आय(निधियों में अंतरित नियत/विन्यास निधियों से निवेश पर आय)	XIV	-	-
स्वामिस्व(रॉयल्टी), प्रकाशन आदि से आय	XV	-	-
अर्जित ब्याज	XVI	1,25,89,896	62,54,509
अन्य आय	XVII	2,629	84,256
कुल(क)		**53,68,23,819**	**32,31,45,398**
व्यय			
स्थापना व्यय	XVIII	22,59,08,497	15,81,11,461
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	XIX	14,03,23,001	11,07,19,581
अनुदानों, सहायकियों आदि पर व्यय	XX	-	-
ब्याज	XXI	-	-
अवक्षयण(अनुसूची VIII के तत्स्थानी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)	XXII	73,40,582	45,17,546
कुल (ख)		**37,35,72,080**	**27,33,48,587**
अतिशेष, जो व्यय के मुकाबले आय का अधिक्य है (क-ख) विशेष आरक्षिति में अंतरित साधारण आरक्षिति में/से अंतरित		16,32,51,740	4,97,96,811
अतिशेष, जो समग्र निधि/पूंजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष(कमी) है		16,32,51,740	4,97,96,811
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

प्ररूप 'ग'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(रकम रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आरंभिक अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी	96	466	क) स्थापना व्यय (अनुसूची XVIII की तत्स्थानी)	17,10,36,230	14,92,97,788
(ख) बैंक अतिशेष		-	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX की तत्स्थानी)	11,99,79,191	10,97,35,655
(i) चालू खातों में	16,42,29,572	11,83,35,315	ग) इनपुट(निवेश) जी.एस.टी.	6,58,07,772	1,15,27,296
(ii) जमा खातों में	11,80,00,000	10,20,00,000			
(iii) बचत खातों में	-	-			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों में से किए गए भुगतान(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान की विशिष्टियों के साथ-साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(क) भारत सरकार से	28,77,53,000	26,00,00,000			
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजीगत अनुदान और राजस्व व्यय पृथक्-पृथक् दर्शाएं जाएं)	-	-			
III.निम्नलिखित में से निवेश पर आय			III.निम्नलिखित में से किए गए निवेश और जमा		
(क) नियत/विन्यास निधियां	-	-	क) नियत/ विन्यास निधियों में से	-	-
(ख) स्वयं की निधियां (निवेश-अन्य)	-	-	(ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश-अन्य)	1,41,50,000	-
IV.प्राप्त ब्याज			IV.स्थिर आस्तियों और चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय		-
(i) बैंक जमा पर	1,67,91,471	84,04,650	क)स्थिर आस्तियों का क्रय	1,68,47,721	22,64,841
(ii) उधार, अग्रिम आदि	-	-	ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
V. अन्य आय(आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जनित)			V.अधिशेष धन/उधारों का प्रतिदाय		
(क) आवेदन फीस	23,25,31,659	5,66,43,825	क)भारत सरकार को	-	-
(ख) प्रकीर्ण आय	2,629	82,385	ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
VI. उधार ली गई रकम	-	-	VI. वित्त प्रभार(ब्याज)	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियां-परिपक्व निवेश	1,86,00,000	2,06,59,966	VII. अन्य भुगतान		
क) प्रतिभूति जमा	3,41,036	-	क) प्रतिभूति जमा		5,00,000
ख)दिवाला व्यावसायिक – अन्य फीस	2,93,850	2,54,000	ख) टी.डी.एस. भुगतान	3,81,06,955	3,38,06,390
ग)पूर्ववर्ती वर्ष के प्राप्त अग्रिम	-	-	ग)जी.एस.टी. भुगतान	2,05,23,546	3,01,157
घ)प्राप्त आउटपुट (उत्पादन) जी.एस.टी..	9,64,19,483	1,08,14,953	घ) उधार और अग्रिम	41,50,156	26,92,711
ङ)शास्ति –सी.एफ.आई.	11,85,000	9,95,000	ङ) सी.एफ.आई. में ब्याज और शास्ति	6,11,512	7,25,000
च)समापन और स्वैच्छिक समापन के अदावाकृत आगम	8,27,07,343	1,48,89,947	VIII. अंतिम अतिशेष		
			क)नकदी	32,809	96
			ख)बैंक अतिशेष		
			i) पी.एन.बी. में चालू खातों और स्वीप खाते में	34,66,09,147	16,42,29,572
			ii) जमा खातों में	22,10,00,000	11,80,00,000
			iii) बचत खातों में	-	-
कुल	**1,01,88,55,039**	**593080,506**	**कुल**	**101,88,55,039**	**59,30,80,506**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-I

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निधि(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 7 देखिए)

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	19,71,46,535	14,73,49,725
जमा: निधि मद्धे अभिदाय	-	-
जमा/(कटौती करें): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय/(व्यय) का अतिशेष	16,32,51,739	4,97,96,810
जमा/(कटौती करें): आरंभिक निधि से समायोजन	-	-
वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	**36,03,98,274**	**19,71,46,535**

अनुसूची-II

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

आरक्षितियां और अधिशेष

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अंतिम लेखा के अनुसार पूंजीगत आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
2. अंतिम लेखा के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
3. अंतिम लेखा के अनुसार विशेष आरक्षितियां वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
4. अंतिम लेखा के अनुसार साधारण आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-III

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

नियत/विन्यास निधियां

(रकम रुपयो में)

	निधि-वार वर्णन				**योग**	
	निधि	**निधि**	**निधि**	**निधि**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(क) निधियों का आरंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन						
(i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(ii)निधियों के खाते में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य परिवर्धन(स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ग) निधियों के उद्देश्यों मद्धे उपयोगिता/व्यय						
(i)पूंजीगत व्यय						
- स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
(ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध अतिशेष (क+ख-ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-IV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

प्रतिभूत ऋण और उधार

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1, केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) आवधिक ऋण	-	-
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-
3. बैंक	-	-
(क) प्रोद्भूत और देय आवधिक ऋण ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) - प्रतिभूत और देय ब्याज	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	-	-

अनुसूची-V

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अप्रतिभूत ऋण और उधार

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1, केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) आवधिक ऋण	-	-
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-
3. बैंक	-	-
(क) प्रोद्भूत और देय आवधिक ऋण ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) - प्रतिभूत और देय ब्याज	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-VI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
आस्थगित ऋण दायित्व

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा प्रतिभूत प्रतिग्रहण	-	-
2. अन्य		
-आई.पी.-अन्य फीस (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 8 देखें)	9,12,330	5,71,000
कुल	9,12,330	5,71,000
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	9,12,330	**2,02,500**

अनुसूची-VII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
चालू दायित्व और प्रावधान

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. चालू दायित्व				
1. प्रतिग्रहण		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए		-		-
(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.1 देखें)		8,58,598		3,40,481
3. प्राप्त अग्रिम(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.2 देखें)		93,23,504		21,35,743
4. ब्याज प्रोद्भूत किन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. कानूनी दायित्व				
(क)अतिशोध्य		-		-
(ख) अन्य		—		-
- सी.पी.एफ. अभिदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.3 देखें)	61,87,224		54,03,146	
- एन.पी.एस.अभिदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.4 देखें)	-		15,71,279	
- संदेय टी.डी.एस. (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.5 देखें)	36,60,059	98,47,283	29,18,579	98,93,004
6. अन्य चालू दायित्व				
(क) प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.6 देखें)	3,41,036		-	
(ख) अदावाकृत आगम (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.7 देखें)	17,89,97,161		9,62,89,917	
(ग) सहायता अनुदान, शास्ति और अदावाकृत आगमों पर ब्याज (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.8 देखें)	1,26,18,947		63,41,698	
(घ) अन्य (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.9 देखें)	1,37,92,141	20,57,49,285	84,72,722	11,11,04,337
कुल (क)		**22,57,78,669**		**12,34,73,565**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2.उपदान (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.1 देखें)		48,04,894		27,05,934
3. अधिवार्षिकी/पेंशन				
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.2 देखें)				
- पेंशन मद्धे	15,90,432		10,85,000	
- छुट्टी वेतन अभिदाय मद्धे	38,08,548	53,98,980	47,26,145	58,11,145
4.संचित छुट्टी नकदीकरण (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.3 देखें)		48,54,514		47,84,719
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6.अन्य				
- विद्युत	1,80,000		1,60,904	
- किराया (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.4 देखें)	1,26,76,964		2,87,520	
- वेतन (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.5 देखें)	3,00,00,000		70,59,751	
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर स्टॉफ	12,53,794		11,29,721	
-व्यावसायिक प्रभार	1,61,630		3,57,482	
-टेलीफोन	16,520		16,520	
-दौरे और यात्रा	1,79,755		1,87,820	
-आतिथ्य	1,55,810		1,74,796	
-लेखापरीक्षक की फीस	6,36,000		8,99,000	
-परीक्षा व्यय	5,74,575		-	
-प्रकीर्ण व्यय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.7 देखें)	90,24,907	5,48,59,954	64,02,944	1,66,76,458
कुल(ख)		**6,99,18,343**		**2,99,78,256**
कुल (क+ख)		**29,56,97,012**		**15,34,51,821**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 30 जून, 2023

हस्ता.
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-VIII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थिर आस्तियां

(रकम रुपयो में)

	कुल संपत्तियां				अवक्षयण				शुद्ध कुल संपत्तियां	
वर्णन	**वर्ष के आरंभ में लागत**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन**	**वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन**	**वर्ष के अंत में लागत**	**वर्ष के आरंभ में विद्यमान**	**वर्ष के दौरान**	**वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन**	**वर्ष के अंत तक कुल**	**चालू वर्ष के अंत में विद्यमान**	**पूर्व वर्ष के अंत में विद्यमान**
क.स्थिर आस्तियां										
1.भूमि										
(क)पूर्ण-स्वामित्व वाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,भवन										
(क) पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)पट्टाधृत भूमि पर		-	-		-	-	-	-	-	-
(ग)स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ)भूमि पर ऐसी अधिरचनाएं, जो संस्था की नहीं हैं (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 11.1 और 11.4 देखें)	46,32,374	-	-	46,32,374	13,89,710	4,63,237.40	-	18,52,947	27,79,427	32,42,664
3.संयंत्र.मशीनरी और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.यान	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
5.फर्नीचर और फिक्सचर (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 11.1 देखें)	6,43,258	48,643	-	6,91,901	2,49,957	66,757.97	-	3,16,715	3,75,186	3,93,301
6.कार्यालय उपस्कर (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 11.1 देखें)	62,64,868	52,44,957	59,294	1,14,50,531	19,61,951	9,89,496	5,929	29,45,518	85,05,012	43,02,915
7.कम्प्यूटर/पेरिफेरल (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 11.1 देखें)	-	1,19,25,834	71,593	1,18,54,241	-	26,09,502	28,637	25,80,865	92,73,376	-
8.विद्युत संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
9.पुस्तकालय पुस्तकें	10,799	67,335	-	78,134	4,320	24,427	-	28,747	49,387	6,479
10.ट्यूबवैल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थिर आस्तियां – वैबसाइट(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.11.1 और 11.2 देखें)	86,85,352	33,92,504	-	1,20,77,856	32,65,611	15,09,732	-	47,75,343	73,02,513	54,19,741
12.ई-ऑफिस (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.11.2 देखें)	-	17,12,000	-	17,12,000	-	17,11,995		17,11,995	5	-
चालू वर्ष का योग	**2,02,36,651**	**2,23,91,273**	**1,30,887**	**4,24,97,037**	**68,71,549**	**73,75,148**	**-34,566**	**1,42,12,130**	**2,82,84,906**	**1,33,65,100**
पूर्व वर्ष का योग	**2,89,94,529**	**57,83,525**	**-1,33,542**	**3,46,44,511**	**1,67,61,864**	**45,17,546**	**-**	**2,12,79,409**	**1,33,65,102**	**1,22,32,663**
ख.चालू पूंजीगत कार्य/ विकासाधीन आस्तियां (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.11.2 देखें)	89,35,926	-	54,12,664	35,23,262	-	-	-	-	35,23,262	89,35,926
योग	**2,91,72,577**	**2,23,91,273**	**55,43,551**	**4,60,20,299**	**68,71,549**	**73,75,148**	**-34,566**	**1,42,12,130**	**3,18,08,168**	**2,23,01,026**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-IX

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

नियत/विन्यास निधियों से निवेश

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1.सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3.शेयरों में	-	-
4.डिबेंचरों और बंधपत्रों में	-	-
5.सहायकियों और संयुक्त-उद्यमों में	-	-
6.अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-X

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निवेश - अन्य

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों और बंधपत्रों में	-	-
5.सहायकियों और संयुक्त उद्यमों में	-	-
6.अन्य (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.12 देखें)	-	-
सी.पी.एफ. मद्धे धारित निधियां	74,79,523	1,23,04,134
उपदान मद्धे धारित निधियां	14,42,601	13,57,000
शास्ति की रकम जमा कराने मद्धे धारित निधियां	28,89,160	27,41,182
कुल	**1,18,11,284**	**1,64,02,316**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 30 जून, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-XI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
चालू आस्तियां, उधार, अग्रिम आदि

(रकम रुपयो में)

क	चालू आस्तियां,उधार,अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	चालू आस्तियां:				
	1.ऋण				
	(क)छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		-		-
	(ख)अन्य(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 13 देखें)		12,63,627		3,23,050
	2. नकदी अतिशेष(चैक/ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, अग्रदाय और नकद विदेशी मुद्रा सहित) (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 14 देखें)		32,809		96
	3. बैंक अतिशेष				
	(क)अनुसूचित बैंकों के पास:				
	- पंजाब नैशनल बैंक में अतिशेष (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 15 देखें)		34,66,09,147		16,42,29,571
	- पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 15 देखें)		22,80,66,811		12,29,07,246
	(ख)गैर-अनुसूचित बैंकों के पास:				
	-चालू खातों में		-		-
	-जमा खातों में		-		-
	-बचत खातों में		-		-
	4. डाकघर – बचत खाते		-		-
	कुल(क)		**57,59,72,394**		**28,74,59,963**
ख	**उधार, अग्रिम और अन्य आस्तियां**				
	1.निम्नलिखित को उधार				
	(क) कर्मचारिवृन्द		**-**		**-**
	(ख) संस्था के क्रियाकलापों/उद्देश्यों के समरूप क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		**-**		**-**
	(ग) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)		**-**		**-**
	2. नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम और अन्य रकम				
	(क)पूंजीगत खाते पर	**-**		**-**	
	(ख)पूर्वसंदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 16 देखें)	2,05,97,258		1,69,84,078	
	(ग) अन्य				
	वसूली-योग्य जी.एस.टी.	46,13,956		62,76,245	
	वसूली-योग्य टी.डी.एस.	1,10,08,354		9,85,107	
	प्रतिभूति निक्षेप	4,72,000		4,72,000	
	वसूली-योग्य विविध	-		40,672	
	कर्मचारिवृन्द	-	3,66,91,568	-	2,47,58,101
	3.प्रोद्भूत आय				
	(क)नियत/विन्यास निधि में से निवेशों पर		-		-
	(ख) निवेशों पर-अन्य		-		-
	(ग)उधारों और अग्रिमों पर		-		-
	(घ) अन्य		-		-
	4. वसूली-योग्य दावे		-		-
	5. अग्रिम पर कर		6,37,740		2,47,950
	6. एन.पी.एस. अभिदाय		86,463		-
	कुल(ख)		**3,74,15,771**		**2,50,06,051**
	कुल(क+ख)		**61,33,88,164**		**31,24,66,014**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली	**हस्ता.**	**हस्ता.**	**हस्ता.**
तारीख: 30 जून, 2023	**डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-XII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अनुदान/सहायकियां

(अवसूली-योग्य अनुदान और प्राप्त सहायकियां)

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केन्द्रीय सरकार (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 7 देखें)	28,77,53,000	26,00,00,000
2. सरकारी अभिकरण	-	-
3, संस्थाएं/कल्याण बोर्ड	-	-
4. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
5.अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**28,77,53,000**	**26,00,00,000**

अनुसूची-XIII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

फीस/अभिदान

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1.प्रवेश शुल्क	-	-
2. फाइल करने की फीस-आवेदन फीस(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.1 देखें)		
-दिवाला व्यावसायिक	1,18,00,000	54,90,000
-दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	15,00,000	15,00,000
-सूचना उपयोगिताएं	50,00,000	55,00,000
-रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	34,25,000	36,00,000
-रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	-	-
-दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	25,67,041	7,24,096
-परीक्षा फीस-सीमित दिवाला परीक्षा	20,76,016	41,02,297
-मूल्यांकन परीक्षा	1,70,06,000	1,34,41,500
-आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक फीस	1,40,53,320	1,13,30,910
-सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने की फीस	83,36,500	1,11,03,000
-विनियामक फीस(समाधान योजना/व्यावसायिकों को व्यावसायिकों को काम पर रखना)	16,76,02,128	-
3,सेमीनार/कार्यक्रम फीस	-	-
4. परामर्शी फीस	-	-
5. अन्य - भर्ती से आवेदन फीस	-	-
- शिकायत फीस(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.3 देखें)	12,288	14,830
- इवेंट सहायता(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.2 देखें)	31,00,000	-
कुल	**23,64,78,294**	**5,68,06,633**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली	**हस्ता.**	**हस्ता.**	**हस्ता.**
तारीख: 30 जून,2023	**डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**

31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-XIV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निवेशों से आय

(निधियों में अंतरित नियत/विन्यास निधियों से निवेशों पर आय)

(रकम रुपयो में)

	नियत निधियों से निवेश		निवेश -अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.ब्याज				
क)सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख)अन्य बंधपत्रों/डिबेंचरों पर	-	-	-	-
2.लाभांशों पर				
क)शेयरों पर	-	-	-	-
ख)म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3.किराया	-	-	-	-
4. अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची-XV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.स्वामिस्व से आय	-	-
2.प्रकाशनों से आय	-	-
3.अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-XVI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अर्जित ब्याज

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.आवधिक निक्षेपों पर		
(क)अनुसूचित बैंकों के पास (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 18 देखें)	1,25,89,896	62,54,509
(ख)गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ग)संस्थाओं के पास	-	-
(घ)अन्य	-	-
2.बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ग) डाकघर बचत खाते	-	-
(घ)अन्य	-	-
3.निम्नलिखित को दिए गए उधारों पर		
(क)कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
(ख)अन्य	-	-
4.ऋणियों और अन्य वसूली-योग्य रकमों पर ब्याज	-	-
कुल	**1,25,89,896**	**62,54,509**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली	**हस्ता.**	**हस्ता.**	**हस्ता.**
तारीख: 30 जून, 2023	**डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई**

अनुसूची-XVII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य आय

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/व्ययन से लाभ		
(क) स्वामित्वाधीन आस्तियां	-	-
(ख) अनुदानों से अर्जित या निशुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2, प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	2,119	75,470
3. प्रकीर्ण आय(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 14.1 देखें)	510	8,786
कुल	**2,629**	**84,256**

अनुसूची-XVIII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थापना व्यय

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)वेतन और मजदूरी	17,12,96,308	11,14,59,474
(ख)भत्ते और बोनस	3,36,27,805	3,24,50,750
(ग)भविष्य निधि/अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय	66,89,398	35,25,295
(घ)अन्य निधि मे अभिदाय-एन.पी.एस.	42,39,843	35,00,793
(ङ)कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय	-	-
(च)कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत फायदों पर व्यय	1,00,55,144	71,75,149
(छ)अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**22,59,08,497**	**15,81,11,461**

अनुसूची-XIX

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)क्रय	-	-
(ख)मजदूरी और प्रक्रमण व्यय	-	-
(ग)आवक ढुलाई और वहन व्यय	-	-
(घ)विद्युत और शक्ति	22,50,384	20,07,948
(ङ)जल प्रभार	10,28,205	15,00,940
(च)बीमा	-	-
(छ)मरम्मत और अनुरक्षण	46,96,182	25,54,191
(ज)किराया, दरें और कर	4,75,31,424	3,04,85,510
(झ)यान चालन, अनुरक्षण या भाड़ा प्रभार	13,06,988	9,83,290
(ञ) डाक,टेलीफोन और संचार प्रभार	28,21,627	25,50,129
(ट) मुद्रण और लेखन-सामग्री	44,92,482	47,82,758
(ठ) यात्रा और वाहन व्यय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 6.2 देखें)	1,06,02,919	21,46,619
(ड) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय	63,70,762	18,76,566
(ढ) अभिदान व्यय	-	4,66,212
(ण) फीस व्यय	21,39,872	9,43,212
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	7,79,540	9,85,000
(थ) आतिथ्य व्यय	23,97,514	10,34,328
(द) वृत्तिक प्रभार	2,41,19,141	2,67,11,100
(ध) डूबन्त और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(न) बट्टे खाते में डाले गए अवसूली-योग्य बकाया	-	812
(प) पैकिंग प्रभार	-	-
(फ) भाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
(ब) वितरण व्यय	-	-
(भ) विज्ञापन और प्रचार	-	-
(म) अन्य	-	-
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर रखे गए स्टॉफ को भुगतान	1,78,15,516	1,81,66,530
-सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों पर व्यय	60,000	56,000
-पुस्तकें और नियतकालिक प्रकाशन	86,200	58,666
-प्रकाशन व्यय	-	8,00,000
-परीक्षा प्रशासक फीस	1,09,11,020	1,12,99,,325
-प्रकीर्ण व्यय	9,13,225	13,10,445
कुल	**14,03,23,001**	**11,07,19,581**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली	**हस्ता.**	**हस्ता.**	**हस्ता.**
तारीख: 30 जून, 2023	**डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2023 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-XX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
अनुदानों, सहायकियों आदि पर व्यय

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
(ख)संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायकियां	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची-XXI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
ब्याज

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)नियत उधारों पर	-	-
(ख)अन्य उधारों पर(बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग)अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 30 जून, 2023

अनुसूची XXII

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016("संहिता") की धारा 223(1) में बोर्ड से ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(सी.एंड ए.जी.) के परामर्श से विहित करे, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करने की अपेक्षा की गई है । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए ।

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणियां, अनुसूची XXIII में टिप्पण 17.1(छ) के अधीन रहते हुए, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान(आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मापदंडों और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार की जाती हैं ।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों की लागत का वहन करने में गिरावट, अस्थायी से भिन्न, के लिए प्रावधान किया जाता है ।

2.2 "चालू" के रूप मे वर्गीकृत निवेश निचली लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है क्योंकि प्रत्येक निवेश को व्यष्टिक रूप से न कि वैश्विक आधार पर समझा जाता है ।

2.3 लागत के अंतर्गत अर्जन व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप भी है ।

3. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों का कथन मूल लागत घटा संचित अवक्षयण और ह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई है, के आधार पर किया जाता है । लागत के अंतर्गत अर्जन और सन्निर्माण/संस्थापन में उपगत व्यय और आस्तियों को उसके आशयित उपयोग के लिए कार्यकरण की दशा में लाने पर होने वाले अन्य संबंधित प्रत्यक्ष और आनुषंगिक व्यय आते हैं ।

4. अवक्षयण

4.1 अवक्षयण का प्रावधान, स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा दायित्वों के संपरिवर्तन के कारण उद्भूत होने वाले लागत-समायोजनों पर अवक्षयण के सिवाय, जिसका संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन के आधार पर क्रमिक अपाकरण होता है, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट-लाइन पद्धति के आधार पर किया जाता है ।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में परिवर्धनों/कटौतियों की बाबत अवक्षयण पर अनुपात के आधार पर विचार किया जाता है ।

4.3 ऐसी प्रत्येक आस्ति के लिए, जिसका अर्जन मूल्य 5,000/- रुपए या उससे कम है, उसके अर्जन के वर्ष में पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है ।

5. प्रकीर्ण व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उस वर्ष से, जिसमें वह उपगत होता है, पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते डाल दिया जाता है ।

6. राजस्व मान्यता

राजस्व को, अनुसूची-XXIII में टिप्पण 17.1(छ) के अधीन रहते हुए प्रोद्भवन आधार पर माना जाता है ।

7. सरकारी अनुदान/सहायकियां

7.1. परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजीगत लागत मद्धे किए गए अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजीगत आरक्षिति माना जाता है ।

7.2. अर्जित की गई विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों की बाबत किए गए अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है ।

7.3. सरकारी अनुदानों का लेखांकन, वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन, प्रोदभवन के आधार पर किया जाता है .।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1. विदेशी मुद्रा में अंकित संव्यवहारों का लेखांकन, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है ।

8.2. यदि विदेशी मुद्रा दायित्व का संबंध स्थिर आस्तियों से है तो चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा उधारों और चालू दायित्वों को, वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर संपरिवर्तित किया जाता है और पारिणामिक लाभ/हानि को, स्थिर आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में उसे राजस्व समझा जाता है ।

9. पट्टा

पट्टा किरायों पर व्यय, लागत पट्टे के निबंधनों के प्रति निर्देश से किया जाता है ।

10. सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं

10.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान मद्धे दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होता है ।

10.2. कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदीकरण देने के लिए प्रावधान इस उपधारणा के आधार पर प्रोद्भूत और संगणित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में उस फायदे को प्राप्त करने के हकदार हैं।

अनुसूची-XXIII
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 संस्था के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.2 संस्था द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटियों की बाबत - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

- बैंक द्वारा संस्था की ओर से खोले गए प्रत्यय-पत्रों की बाबत - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

-बैंकों द्वारा मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल - शून्य रूपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें:

-आय-कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

-जी.एस.टी. - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

-नगरपालिक कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रूपए) ।

1.4 पक्षकारों द्वारा आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए किए गए दावों की बाबत, जिनका संस्था द्वारा विरोध किया गया - शून्य रूपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: शून्य

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तपोषण पट्टा ठहरावों के अधीन किराए के लिए भावी बाध्यताओं की रकम शून्य रुपए है । (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

4. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

प्रबंधतंत्र की राय में, चालू आस्तियों, उधारों और अग्रिमों का मूल्य, कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली करने पर कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है ।

5. कराधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 422(अ) द्वारा अधिसूचित बोर्ड की अधिसूचित लेखांकन नीति की अनुसूची XXIII के पैरा 5 को ध्यान में रखते हुए, जो निम्न प्रकार

पठित है "आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कराधेय आय न होने के कारण, आय-कर के लिए कोई उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।" इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 9/2023 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46 के अधीन छूट का उपबंध किया है । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य : लागू नहीं होता है ।

- तैयार माल का क्रय

- कच्ची सामग्री और संघटक (जिसके अंतर्गत अभिवहन में कच्ची सामग्री और संघटक भी हैं)

- पूंजीगत माल

- भंडार, पुर्जे और खपने योग्य सामग्री

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:

(i) यात्रा - (चालू वर्ष 40,73,858/- -रुपए)(पूर्व वर्ष - 3,86,138/- रुपए) ।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किए गए विप्रेषण और ब्याज का संदाय: (चालू वर्ष - शून्य रूपए)(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(iii) अन्य व्यय (चालू वर्ष - अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम को संदत्त की गई सदस्यता फीस - 1,05,484/- रुपए (पूर्व वर्ष - 53,198/- रुपए) ।

(iv) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(v) विधिक और वृत्तिक व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

(vi) प्रकीर्ण व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन: (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6क. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणन के लिए
- अन्य - सी. एंड ए.जी. लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, जी.एस.टी. और आर.टी.आई. लेखापरीक्षा (चालू वर्ष - 7,79,540/-रुपए)(पूर्व वर्ष - 9,85,000/-) ।

7. सरकारी अनुदान

7.1 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन आई.सी.ए.आई. के लेखांकन मानक बोर्ड(ए.एस.बी.) द्वारा जारी

किए गए लेखांकन मानक-12(अब आई.ए.एस. 20) के अनुसार किया गया है । इसके अतिरिक्त, जैसा अनुसूची XXII - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - के टिप्पण 7 के अधीन उपबंधित है, सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है ।

बोर्ड की निधि का गठन संहिता की धारा 222 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:

"(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा –

(क) बोर्ड द्वारा इस संहिता के अधीन प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे सभी स्रोतों से, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा -

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं ।"

7.2 निधि की स्थिति(सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियां) और बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान (सहायता अनुदानों और आंतरिक प्राप्तियों में से) उनका उपयोग तथा 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों का खर्च न किया गया अतिशेष, पूर्व वर्ष के आंकड़ों सहित निम्नलिखित रूप में है:

(लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	2021-22					2022-23				
	प्राप्तियां	उपयोगिता	स्थिर आस्तियां	शुद्ध अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष	प्राप्तियां	उपयोगिता	स्थिर आस्तियां	शुद्ध अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10=5+6-(7+8+9)**
सहायता अनुदान (साधारण)	1000.00	994.20	22.65	24.43	-31.43*	1,069.00	1069.00	-	-	-
सहायता अनुदान (वेतन)	1600.00	1581.11	-	-	18.89	1808.53	1808.53	-	-	-
सहायता अनुदान (पूंजीगत)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
पूर्ण योग (क)	**2600.00**	**2575.31**	**22.65**	**24.43**	**-12.54**	**2877.53**	**2877.53**	**-**	**-**	**-**
आंतरिक रूप से जनित	631.45	112.99	-	-	1591.15	2490.71	784.78	168.48	36.13	3092.47

राजस्व(ख)										
सकल योग(क+ख)	**3231.45**	**2688.30**	**22.65**	**24.43**	**1578.61**	**5368.24**	**3662.31**	**168.48**	**36.13**	**3079.93**

*सहायता अनुदान- साधारण के अधीन निधियों में 31.43 लाख रुपए की रकम की कमी का वित्तपोषण सहायता अनुदान-वेतन (18.89 लाख रुपए) में से किया गया है और शेष रकम का वित्तपोषण आंतरिक रूप से जनित राजस्व से किया गया है । कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इसे नियमित करने की ईप्सा की जा रही है ।

#इसके अंतर्गत, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31क के अधीन 1676.02 लाख रुपए की रकम की विनियामक फीस भी है । तथापि, इस विनियम को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तीन मामलों में चुनौती दी गई है, अर्थात्, (i) हैज़ल मर्केंटाइल लिमिटेड और अन्य बनाम आई.बी.बी.आई.(माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय), (ii) यदुबीर सिंह सजवान बनाम आई.बी.बी.आई.(माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय) और (iii)विनीत श्रीवास्तव बनाम आई.बी.बी.आई.(माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) । किसी प्रतिकूल न्यायिक निर्णय के परिणामस्वरूप इन उपार्जनों का होना/बन्द होना निर्भर करेगा ।

7.3. 31.03.2023 को यथा-विद्यमान, निधियों के संघटक निम्नलिखित रूप में हैं:

विशिष्टियां	रकम (लाख रुपयों में)
वर्ष की समाप्ति पर स्थिर आस्तियां/पूंजीगत डब्ल्यू.आई.पी.(शुद्ध)	318.08
विक्रेताओं को भुगतान किए गए ऐसे अग्रिम, जो व्यय के रूप में माने जाने के लिए लंबित हैं	205.97
बोर्ड के आंतरिक प्रोद्भवनों से जनित निधियां	3079.93
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम निधि	**3603.98**

8. आस्थगित उधार दायित्व

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 में सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायत और परिवाद फाइल करने का उपबंध है, जिसके विनियम 7 के उप-विनियम (8) में इस प्रकार उपबंध किया गया है *“जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा”* । ऐसे परिवादों के संबंध में, जो प्रक्रियाधीन हैं, प्राप्त 9,12,330/- रुपए की राशि को अनुसूची VI “आस्थगित उधार दायित्व” के अधीन दायित्व के रूप में रखा गया है (पूर्व वर्ष - 5,71,000/- रुपए)

9. चालू दायित्व

9.1 8,58,598/- रुपए की रकम के विविध लेनदारों के अंतर्गत ऐसे विक्रेताओं के प्रति दायित्व सम्मिलित हैं, जो नैमित्तिक प्रकृति के हैं । (पूर्व वर्ष 3,40,481/- रुपए) ।

9.2 प्राप्त किए गए अग्रिमों के अंतर्गत बोर्ड के पास आई.पी./आई.पी.ई./आर.वी./आर.वी.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण/मान्यता के लिए सेवा प्रदाताओं और आवेदकों से प्राप्तियां भी शामिल हैं । (चालू वर्ष -

93,23,504/- रुपए - जी.एस.टी. के बाद शुद्ध) (पूर्व वर्ष 21,35,743/- रुपए - जी.एस.टी. के बाद शुद्ध)।

9.3 सी.पी.एफ. मद्धे अभिदाय की 61,87,224/- रुपए की रकम (ब्याज सहित), भागतः पंजाब नैशनल बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और मासिक अभिदाय को पंजाब नैशनल बैंक के पास आवर्ती निक्षेप में रखा गया है (पूर्व वर्ष - सी.पी.एफ. अभिदाय, उस पर ब्याज सहित 54,03,146/- रुपए था) ।

9.4 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान कोई भी एन.पी.एस. अभिदाय संदेय नहीं है । (पूर्व वर्ष - 15,71,279/- रुपए) ।

9.5 स्रोत पर काटे गए कर(टी.डी.एस.) के 36,60,059/- रुपए के देय वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय-कर और जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास सम्यक् रूप से जमा करा दिए गए हैं । (पूर्व वर्ष - 29,18,579/- रुपए के टी.डी.एस. देय जमा किए गए) ।

9.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,41,036/- रुपए का प्रतिभूति निक्षेप प्राप्त किया गया है । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

9.7 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और विनियम 39 में बोर्ड के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए । तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक्-पृथक् खाते खोले हैं । उक्त समापन खातों के 'भारत लोक लेखा' के अधीन प्रक्रियाशील होने के पश्चात् इन बैंक खातों में पड़ा अतिशेष तदनुसार अंतरित कर दिया जाएगा । चालू वर्ष की समाप्ति पर इन खातों में पड़ा अतिशेष 17,89,97,161/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - 9,62,89,917/- रुपए) ।

9.8 सहायता अनुदानों पर ब्याज के रूप में अर्जित 14,10,103/- रुपए, शास्ति की रकम पर ब्याज के रूप में अर्जित 4,00,700/- रुपए की रकम, जो बोर्ड के पास जमा की गई है और समापन और स्वैच्छिक समापन के अवितरित आगमों पर ब्याज के रूप में अर्जित 1,08,08,144/- रुपए की रकम, जो बोर्ड के पास जमा की गई है, 31 मार्च, 2023 तक भारत की समेकित निधि में प्रेषित की जानी है । (पूर्व वर्ष - 63,41,698/- रुपए) ।

9.9 अन्य चालू दायित्व - अन्य के अंतर्गत (i) 11,78,850/- रुपए का संबंध उन अधिकारियों के, जो प्रतिनियुक्ति हैं, मूल संगठनों या कर्मचारियों को संदत्त किए जाने वाले वेतन से संबंधित प्रेषणों से है; (ii) 67,500/- रुपए आर.वी. को देय प्रतिदायों के लिए हैं; (iii) 2,70,000/- रुपए सी.एफ.आई. को प्रेषण

के लिए देय हैं; (iv) 85,90,791/- रुपए सरकार को संदेय जी.एस.टी, आर.सी.एम. और जी.एस.टी. कर प्रत्यय के रूप में जमा कराने के लिए देय हैं और (v) 36,85,000/- रुपए(जिसके अंतर्गत प्रोद्भूत ब्याज भी है) एक दिवाला व्यावसायिक पर उद्गृहीत शास्ति के रकम से संबंधित हैं, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के आधार पर नियत निक्षेप के रूप में रखे गए हैं । । (पूर्व वर्ष - 84,72,722/- रुपए) ।

10. प्रावधान

10.1 ग्रेड-क और ग्रेड-ख के अधिकारियों के लिए उपदान की बाबत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 23,61,644/- रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार 24,43,250/- रुपए का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष - 27,05,934/- रुपए) ।

10.2 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति फायदों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान के लिए 13,33,162/- रुपए की रकम और पेंशन के लिए 15,90,432/- रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है । बोर्ड ने उन अधिकारियों के लिए, जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन के लिए 33,92,983/- रुपए का भी प्रावधान भी किया है ।(पूर्व वर्ष - 58,11,145/- रुपए) ।

10.3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसरण में, जिसमें यह उपबंध है कि *“छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा । अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे ।”*, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों(डब्ल्यू.टी.एम.) के लिए 11,42,000/- रुपए के और अन्य अधिकारियों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 के अनुसार 37,12,514/- रुपए के छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है ।(पूर्व वर्ष - 47,84,719/- रुपए) ।

10.4 एन.डी.एम.सी. को, अप्रैल,2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए, 20,000 रुपए प्रतिमास की दर से संदेय कार पार्किंग के किराए मद्धे 2,40,000/- रुपए के लिए प्रावधान मयूर भवन परिसर में कार पार्किंग स्थल की किराया सेवाओं मद्धे बोर्ड के नियत दायित्व पर आधारित है । चूंकि विक्रेता ने दिसम्बर, 2018 के बाद कार पार्किंग स्थल के लिए कोई बिल नहीं दिया है इसलिए इस प्रावधान के समुचित समायोजन के लिए विक्रेता के साथ इस विषय पर कार्यवाही की जा रही है । इसके अलावा, एन.डी.एम.सी. को संदेय किराया मद्धे 1,26,52,768/- रुपए का प्रावधान किया गया है ।

10.5 बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2022 से संदेय 3,00,00,000/- रुपए के बकाया वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान किया गया है । चालू वर्ष के लिए बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों के बकाया के लिए प्रावधान शून्य रूपए है।

(पूर्व वर्ष - 70,59,751/- रुपए) ।

10.6 चालू वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः बोर्ड की कानूनी लेखापरीक्षा संव्यवहार लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सी. एंड ए.जी. और आंतरिक लेखापरीक्षकों को संदेय 6,36,000/- रुपए की लेखापरीक्षा फीस(टी.डी.एस. के बाद शुद्ध) का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष - 8,99,000/- रुपए)।

10.7 17,15,824/- रुपए की रकम के प्रावधानों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से अग्रनीत किया गया है । चूंकि संबंधित विक्रेताओं ने अब तक अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए प्रावधानों का समाशोधन नहीं किया गया है और उन्हें यथावत रखा गया है । इस मामले के संबंध में प्रत्येक विक्रेता के साथ समुचित समायोजन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

11. अवक्षयण

11.1 अवक्षयण के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्न प्रकार उपबंध किया जाता है:

आस्तियां	**अवक्षयण की दर**
कम्प्यूटर/पेरिफेरल/साफ्टवेयर/हार्डवेयर/पुस्तकालय पुस्तकें	40%
कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर और फिक्सचर	10%
भवन	10%
वैबसाइट	25%

11.2 नेशनल इनफॉरमैटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (एन.आई.सी.एस.आई.) द्वारा कार्य पूरा कर लेने पर 33,92,504/- रुपए की रकम (जी.एस.टी. के बाद शुद्ध) का लेखांकन 'स्थिर आस्तियां' शीर्ष के अधीन वैबसाइट तैयार करने लेखे वैबसाइट के रूप में सम्यक् रूप से किया गया है । सी.ए.जी. की वर्ष 2021-22 के लिए उसकी पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, ई-ऑफिस साफ्टवेयर तैयार करने मद्धे 17.12 लाख रुपए(जी.एस.टी. के बाद शुद्ध) की रकम पूंजीकृत की गई थी । अवक्षयण को भूतलक्षी रूप से 2018-19 से प्रभावी किया गया था और तदनुसार वर्ष के दौरान, 5 रुपए के नाममात्र बही मूल्य को छोड़ने के पश्चात्, 17,11,995/- रुपए की रकम का प्रावधान किया गया था । इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑनलाइन माड्यूल और वैबसाइट तैयार करने के लेखे 35,23,262/- रुपए की रकम चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाई गई है । परियोजनाओं के पूरा होने और विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर इसे संबंधित स्थिर आस्तियों के रूप में लेखाओं में लिया जाएगा । (पूर्व वर्ष - 89,35,926/- रुपए) ।

11.3 वर्ष 2022-23 के दौरान क्रय की गई 86,200/- रुपए की पुस्तकालय-पुस्तकों को राजस्व व्यय माना गया है और उन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है । इसके अतिरिक्त, 67,335/- रुपए की रकम की पुस्तकों को, 5,000/- रुपए से अधिक मूल्य की होने के कारण पूंजीकृत किया गया है ।

11.4 सही स्थिति प्रदर्शित करने के लिए, भवन के प्रकटन(मूल लागत 46,32,374/- रुपए) को "पट्टाधृत भूमि" से "ऐसी भूमि पर, जो संस्था की नहीं है, अधिसंरचनाएं" में अंतरित किया गया है ।

12. निवेश

(i) अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) दायित्व के विरुद्ध 74,79,523/- रुपए (ब्याज सहित) की रकम का, पंजाब नेशनल बैंक के पास नियत और आवर्ती निक्षेपों में निवेश किया गया है; (ii) बोर्ड के उपदान संबंधी दायित्व के विरुद्ध 14,42,601/- रुपए(ब्याज सहित) की रकम इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और (iii) एक दिवाला व्यावसायिक द्वारा जमा की गई शास्ति के विरुद्ध 28,89,160/- रुपए (ब्याज सहित) की रकम, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के आधार पर पंजाब एंड सिंध बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है । (पूर्व वर्ष - 1,64,02,316/- रुपए (ब्याज सहित) ।

13. चालू आस्तियां - ऋणी

12,63,627/- रुपए के ऋण - "अन्य" का संबंध दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और परीक्षा प्रशासकों और अन्य पक्षकारों से शोध्य फीस से है । (पूर्व वर्ष - 3,23,050/- रुपए) ।

14. नकद अतिशेष

14.1 बोर्ड ने खुदरा नकदी की अग्रदाय व्यवस्था बनाई हुई है जिसकी अनुमोदित सीमा 50,000/- रुपए है । बोर्ड के पास 31 मार्च, 2023 तक 32,599 रुपए(320 जी.बी.पी. के समतुल्य) की विदेशी मुद्रा है।

15. बैंक खातों में रखे अतिशेष

पंजाब नेशनल बैंक में रखे अतिशेष में निम्नलिखित रकमें शामिल हैं:

चालू खाते में(आंतरिक प्राप्तियां) -4,58,08,506.48 रुपए(नामे) (पूर्व वर्ष - 2,27,75,515.83 रुपए (नामे)।

चालू खाता (अनुदान) में 3,78,400.53 रुपए(जमा) (पूर्व वर्ष - 77,74,770.93 रुपए (जमा) ।

चालू खाता(समापन) में - 5,79,12,855.36 रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 12,57,295.53 रुपए)(नामे) ।

चालू खाता (स्वैच्छिक समापन) में - 1,08,92,449.71 रुपए(नामे) (पूर्व वर्ष - 12,78,471.63 रुपए)(नामे)।

चालू खाता (शास्ति) - 10,37,541/- रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 6,43,059/- रुपए)(नामे) ।

स्वीप खातों मे - 23,05,36,195/- रुपए (नामे) । (पूर्व वर्ष - 14,60,50,000/- रुपए)(नामे) ।

आवधिक जमा खातों में - 22,80,66,811/- रुपए(नामे) । (पूर्व वर्ष - 12,29,07,246/- रुपए)(नामे) ।

16. पूर्वसंदत्त व्यय:

16.1 शासी बोर्ड ने 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान(आई.आई.सी.ए.) में तीन वर्ष की अवधि के लिए आई.बी.बी.आई. दिवाला पीठ स्थापित करने का विनिश्चय किया था जिसके लिए एक ही बार में एक करोड़ रुपए का विन्यास अनुदान किया जाना है । बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार आई.आई.सी.ए. द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपए की रकम का क्रमिक अपाकरण किया जा रहा है । (चालू वर्ष - 93,13,108/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 93,13,108/- रुपए) ।

16.2. 1,12,84,150/- रुपए के शेष अग्रिम ऐसे विक्रेताओं से संबंधित हैं जो नियमित स्वरूप के हैं । (पूर्व वर्ष-76,70,970/- रुपए) ।

17. फीस/अभिदान (अनुसूची XIII)

17.1 फाइल करने की फीस/आवेदन फीस: इसके अंतर्गत नीचे दिए गए स्रोतों से प्राप्त फीस शामिल हैं:

क) दिवाला व्यावसायिक: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड **"***इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृतिक अभिकरणों, दिवाला वृतिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है"* **।**

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्तूबर, 2022 से यथा-संशोधित विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *''किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क में बीस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।''*

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वाकीर किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 26,30,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 54,90,000/- रुपए) ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्तूबर, 2022 को यथा-संशोधित विनियम 6 के उप-विनियम (1क) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

''ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था, जो विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला

व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, दो लाख रूपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस सहित. दूसरी अनुसूची के प्ररूप कक में बोर्ड को आवेदन कर सकेगी ।"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक संस्था के दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वाकीर किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 80,00,000/- रुपए ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्तूबर, 2022 से यथा-संशोधित विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"यदि दिवाला व्यावसायिक एक व्यष्टि है तो बीस हजार रूपए की फीस या यदि दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है तो दो लाख रूपए की फीस का संदाय उस वर्ष के पश्चात्, जिसमें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, प्रत्येक पांच वर्ष में बोर्ड को करेगा और ऐसी फीस का संदाय उस वर्ष. जिसमें यह देय होती है, 30 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा ।"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि नवीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन नवीकरण फीस के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 11,70,000/- रुपए ।

ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड *"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।*

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।

(2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है ।

............" ।

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों

के अध्यधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी -

"(क) ....

(ख) .....

(ग) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का शुल्क अदा करेगी, उस वर्ष के बाद जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया या नवीकृत किया गया था........." ।

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (3) में यह उपबंधित है कि *"रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा"* ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है । चालू वर्ष - 15,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष -15,00,000/- रुपए) ।

ग) सूचना उपयोगिताएं: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड *"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृतिक अभिकरणों, दिवाला वृतिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है"* ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के 20 सितम्बर, 2022 से संशोधित विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) सूचना उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र कोई व्यक्ति दस लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाने की इच्छुक कोई सूचना प्रतियोगिता अपना रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से कम से कम छह मास पहले दस लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को नवीकरण के लिए आवेदन करेगी ।

............."।

विनियमों के 20 सितम्बर, 2022 से संशोधित विनियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन शर्तों के अधीन होगा कि सूचना उपयोगिता करेगी -

(क)..............

(ख)..............

(ग).............

(घ) बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण, जो भी लागू हो, की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को एक करोड़ रुपए की फीस का भुगतान करना;

"(ङ) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इनफॉरमेशन यूटिलिटी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के दस प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय करना:

परन्तु ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा, किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब पर संदाय किए जाने तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा ।

………………"।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस, सूचना उपयोगिताओं से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है । चालू वर्ष - 50,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 55,00,000/- रुपए) ।

घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक: केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3401(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन उसमें निहित शक्तियों और कृत्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है ।

इसके अलावा, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप क में आवेदन कर सकता है ।

(2) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदारी अस्तित्व या कंपनी, प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप ख में आवेदन कर सकती है ।

............."।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण

फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने या वापस लिए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 34,25,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 36,00,000/- रुपए) ।

ङ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन: कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उपाबंध-II के प्ररूप-घ में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकता है ।

................"।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । मन्यता फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । मान्यता प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन मान्यता फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

च) दिवाला व्यावसायिक संस्था : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्तूबर, 2022 से संशोधित विनियम 12 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में दो लाख रुपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । मान्यता फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । मान्यता प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन मान्यता फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 23,50,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 5,00,000/-) ।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

(क) हमेशा विनियम 12 के अधीन अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;

(ख) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, जैसा भी मामला हो, तो तीस दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा;

(ग) *यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त किया जाता है तो तीस दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा..... ।"*

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 5 के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से प्ररूप च में प्राप्त सूचना के आधार पर माना जाता है । चालू वर्ष - 2,17,041/- रुपए (पूर्व वर्ष - 2.24.096/-) ।

छ) परीक्षा फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"*यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा ।*"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड सीमित दिवाला परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है, चूंकि यह रकम अप्रतिदेय है । चालू वर्ष- 20,76,017/- रुपए (पूर्व वर्ष - 41,02,297/- रुपए) ।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"*प्राधिकरण ऐसे व्यष्टियों के लिए, जो नियम 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखते हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, एक या अधिक आस्ति वर्गों के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृतिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच के लिए या तो स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा ।*"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.आई.एस.एम. को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है, चूंकि यह रकम अप्रतिदेय है । चालू वर्ष - 1,70,06,000/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 1,34,41,500/-)

ज) आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्तूबर, 2022 से संशोधित विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:-

"*यह रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -*

(क)..................

(ख)..................

(ग)...................

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङ में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा;

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा;

परन्तु यह और कि जहां दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है वहां वह बोर्ड को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में एक विवरणी सहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणीत फीस का संदाय करेगी ।

(गख)) *बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङक में विवरणी सहित, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर या दिवाला समाधान प्रक्रिया के बन्द हो जाने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31क के उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।*

………"।

विनियमों के विनियम 13 के 1 अक्तूबर, 2023 से संशोधित उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"*यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -*

(क).................

(ख).................

(ग)..................

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा;

.........."।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 15

में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा"।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 3 और अध्याय 5 के अधीन आवर्त पर आधारित फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से क्रमशः प्ररूप ङ और प्ररूप छ में प्राप्त सूचना के आधार पर मान्यता दी जाती है । चालू वर्ष -1,40,53,320/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 1,13,30,910/- रुपए) ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड समाधान योजनाओं पर और व्यावसायिकों को भाड़े पर लेने पर विनियामक फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों से प्ररूप ङक में प्राप्त सूचना के आधार पर स्वीकार किया जाता है । चालू वर्ष - 16,76,02,128/- रुपए ।

झ) सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने से फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 40ख में दिवाला व्यावसायिकों द्वारा कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया से संबंधित प्ररूप फाइल करने के लिए उपबंध किया गया है । इसके आगे, विनियम 40ख के उप-विनियम (4) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अक्तूबर, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी"।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड विनियम 40ख के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संगृहीत फीस 83,36,500/- रुपए है । (पूर्व वर्ष 1,11,03,000/- रुपए शून्य) ।

17.2 सेमीनार/कार्यक्रम फीस: संहिता की धारा 196(1)(कक) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड *"इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला वृतिकों, दिवाला वृतिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा ।"*

इसके अलावा, धारा 196(1)(ग) बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्गृहीत करने के लिए सशक्त करती है, जिसके अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31,00,000/- रुपए की इवेंट सहायता फीस

स्वीकार की गई है ।(पूर्व वर्ष -शून्य) ।

17.3 शिकायत और परिवाद फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"ऐसा पणधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे संदत्त दो हजार पांच सौ रुपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी ।"*

इसके अतिरिक्त, विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (8) में यह उपबंध है कि "*जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा ।*" प्राप्त की गई फीस "आस्थगित उधार दायित्व" शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है और यदि बोर्ड द्वारा शिकायत/परिवाद को तुच्छ पाया जाता है तो इसे आय माना जाता है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय 10,593/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - 14,830/- रुपए) ।

कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 16 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के विरुद्ध प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या कोरियर से प्राधिकरण के पक्ष में एक हजार रूपए के गैर-पुर्नभुगतान किए जाने योग्य शुल्क सहित एक शिकायत दायर की जा सकती है और प्राधिकरण शिकायत की जांच करेगा तथा ऐसी आवश्यक कार्यवाही करेगा, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जो किसी भागीदारी संस्था का भागीदार या किसी कंपनी का निदेशक है, के विरुद्ध किसी शिकायत के मामले में, प्राधिकरण सुसंगत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को शिकायत निर्देशित कर सकेगा और ऐसा संगठन शिकायत का अपनी उप-विधियों के अनुसार निवारण करेगा ।"

प्राप्त की गई फीस प्राप्ति के आधार पर आय मानी जाती है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय 1,695/- रुपए है (पूर्व वर्ष - शून्य रूपए) ।

18. **अर्जित ब्याज:** चालू वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के अंतर्गत ये हैं - (i) पंजाब नेशनल बैंक में स्वीप सुविधा वाले चालू खाते में अर्जित ब्याज - 28,57,555/- रुपए; और (ii) नियत निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज - 97,32,341/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 62,54,509/- रुपए) ।

19. **पूर्व अवधि के ऐसे व्यय, जिन्हें चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है;** (i) 19,30,476/- रुपए की रकम

का भुगतान, विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर, एन.आई.सी.एस.आई. को 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि से संबंधित क्लाउड सेवाओं के लिए किया गया है, (ii) 3,91,708/- रुपए की रकम का भुगतान, एम.टी.एन.एल. को इंटरनेट पोर्ट प्रभारों मद्धे किया गया है, (iii) 44,000/- रुपए की रकम का भुगतान श्री जगजीत सिंह को विधिक सेवाओं मद्धे किया गया है, (iv) 5,488/- रूपए की रकम की प्रतिपूर्ति श्री संतोष कुमार शुक्ला, कार्यपालक निदेशक को वर्ष 2021-22 के लिए पुस्तक अनुदानों मद्धे की गई है ।

20. वित्तीय विवरणियों को भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार करने के लिए बोर्ड से ऐसे प्राक्कलन और ऐसी उपधारणाएं करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणियों में आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की प्रतिवेदित रकम को प्रभावित करते हैं । यद्यपि यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग में लाए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं तथापि वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच जो अंतर है उसे उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/फलीभूत होते हैं, सुसंगत लेखा शीर्षो में आय/व्यय के रूप में माना जाना है ।

21. पूर्व वर्ष के तत्स्थानी आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

22. अनुसूची I से अनुसूची XXIII उपाबद्ध की जाती हैं और वे 31 मार्च, 2023 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे का अभिन्न भाग गठित करती हें ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.	**हस्ता.**	**हस्ता.**
डब्ल्यू.टी.एम.(एफ.एंड ए.),	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**
आई.बी.बी.आई.		**आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 30 जून, 2023

लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन

पैरा	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का उत्तर
क	आई.बी.बी.आई. के पास भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की बाबत पूर्व वर्षों का अतिशेष 'शून्य' था । आई.बी.बी.आई. ने 2022-23 के दौरान सहायता के रूप में 28.77 करोड़ रुपए [सहायता अनुदान(साधारण) - 10.69 करोड़ रुपए और सहायता अनुदान(वेतन) - 18.08 करोड़ रुपए] प्राप्त किए । आई.बी.बी.आई. द्वारा वर्ष के दौरान 28.77 करोड़ रूपए का संपूर्ण अनुदान खर्च कर दिया था और 31 मार्च, 2023 को अतिशेष शून्य रह गया । तथापि आई.बी.बी.आई. ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान साधारण (जी.आई.ए. जनरल) के अधीन 18.89 लाख रुपए की कमी का वित्तपोषण सहायता अनुदान वेतन(जी.आई.ए. सैलरी) में से किया था । कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदानों के इस पुनर्विनियोजन को नियमित करने की ईप्सा की गई थी किन्तु आई.बी.बी.आई. को कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।	पुनर्नियोजन के नियमितीकरण का मामला कारपोरेट मंत्रालय(एम.सी.ए.) के समक्ष इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए उठाया गया है । एम.सी.ए. को वित्त मंत्रालय को आगे प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतःपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । एमसीए के साथ आगे का अनुवर्ती संचार भी किया गया है। एमसीए से अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7वीं मंजिल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110001
www.ibbi.gov.in